राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भास/माद/10–11 जयपुर, दिनांक : - 5 JUN 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को फार्म न. 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत।**

संदर्भ :– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.05.2011**

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग करने हेतु भरे जाने वाले फार्म न. 6 प्राप्त करने हेतु तथा फार्म प्राप्ति की दिनांकित प्राप्ति रसीद श्रमिक को देने हेतु वार्ड पंच को अधिकृत किया गया था। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त निर्देशों की पालना नही की जा रही है तथा यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वार्ड पंच को फार्म न. 6 तथा उसकी रसीद देने के संबन्ध में जानकारी ही नही है।

इस संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा अपने जिले के सभी वार्ड पंचों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख कर इस बाबत अवगत करायेंगे। साथ ही दीवार लेखन, पम्पलेट वितरण, ग्राम पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवनों के सूचना पट्ट के माध्यम से फार्म न. 6 भरने व दिनांकित रसीद प्राप्त करने की जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जावे। जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से वार्ड पंच को लिखे जाने वाले पत्र एवं पम्पलेट का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान
जिला———
दूरभाष—................ फैक्स— ....

अशा पत्र कमांक
दिनांक:

प्रिय वार्ड पंच,

जैसा कि आप जानते है महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत रोजगार की मांग किये जाने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा अकुशल रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। रोजगार प्राप्त किए जाने हेतु जॉबकार्डधारी परिवार के मुखिया अथवा जॉबकार्ड में सम्मिलित श्रमिक द्वारा रोजगार की मांग ग्राम पंचायत से की जानी आवश्यक है। यह मांग निर्धारित प्रपत्र फार्म न. 6 के माध्यम से अथवा सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से की जा सकती है।

ग्राम पंचायत के सदस्य होने के नाते राज्य सरकार द्वारा फार्म न. 6 प्राप्त करने तथा प्राप्ति की दिनांकित रसीद आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराए जाने हेतु आपको भी अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के अनुरूप आप अपने क्षेत्र के जॉबकार्डधारी परिवार से फार्म न. 6 अथवा सादे कागज पर आवेदन प्राप्त करे एवं आवेदनकर्ता को दिनांकित प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से प्रदान करें। फार्म न. 6 अथवा सादे कागज पर आवेदन प्राप्त करते समय निम्न बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें :—

1. रोजगार चाहने वाले आवेदक का नाम तथा जॉबकार्ड नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित है।
2. दिवसों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए, अंकित है।
3. जिस माह एवं पखवाडे में अथवा जिस दिनांक से रोजगार चाहिए, अंकित है।
4. यदि आवेदनकर्ता द्वारा उक्त जानकारी फार्म न. 6 पर अथवा सादे कागज पर नही दी है, तो आवेदनकर्ता से पूछ कर यह जानकारी आवश्यक रूप से आपके द्वारा अंकित की जावे।
5. उक्तानुसार प्राप्त आवेदन की प्राप्ति की दिनांकित रसीद आपके द्वारा मय आपके हस्ताक्षर एवं आपके नाम से आवेदक को आवश्यक रूप से दी जावे।
6. प्राप्त आवेदनों को अविलम्ब ग्राम सचिवालय की साप्ताहिक बैठक में ग्राम पंचायत कार्यालय में देकर उनका इन्द्राज रोजगार रजिस्टर में आवश्यक रूप से करावें।
7. महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबन्धित जानकारी एवं शिकायत के लिए निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800—180—6606 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया राज्य सरकार द्वारा आपको प्रदान किए गए अधिकार का उपयोग करें एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन में आपकी भागीदारी से अधिकाधिक लोंगो को लाभ प्रदान करें।

भवदीय

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

श्री ———
वार्ड पंच, वार्ड न. ——
ग्राम पंचायत ———
पंचायत समिति ————
जिला ————

महात्मा गांधी नरेगा योजना
रोजगार की गारंटी

रोजगार की मांग कर रोजगार प्राप्त करे।

रोजगार की मांग के लिए

- फार्म न. 6 में अथवा **सादे कागज** पर आवेदन करे।
- फार्म न. 6 **निःशुल्क** उपलब्ध कराया जाता है।
- यह फार्म **ग्राम पंचायत कार्यालय** के अतिरिक्त **सरपंच, वार्ड पंच, नरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, पटवार घर, निरीक्षक भू-अभिलेख, आंगनबाडी केन्द्र, आशा सहयोगिनी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध**।
- फार्म अथवा सादे कागज पर **अपना जॉबकार्ड नम्बर, श्रमिक का नाम, रोजगार दिवसों की संख्या एवं दिनांक जिससे रोजगार चाहिए स्पष्ट रूप** से लिखे।
- आवेदन की **दिनांक एवं हस्ताक्षरशुदा प्राप्ति रसीद आवश्यक** रूप से लेवें।
- योजना से संबन्धित **जानकारी एवं शिकायत** के लिए **निःशुल्क** टेलीफोन नम्बर 1800-180-6606 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

रोजगार की मांग   जितना काम

रोजगार की गारंटी   उतना दाम